तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर** **राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 9/2024 (2024/33)** **अनवान सीतादेवी वगैरा बनाम पुखराज वगैरा** **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20-1-2026	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी श्री नवीन शर्मा उपस्थित। अप्रार्थीगण की ओर से बावजूद तामिल कोई उपस्थित नही। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस मे निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. 1 से 5 के संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमियां खसरा नं. 130 रकबा 2.7195 हैक्टेयर अर्थात 16 बीघा 16 बिस्वा तथा खसरा नं. 154 रकबा 5.3904 हैक्टेयर अर्थात 33 बीघा 6 बिस्वा भूमि वाके ग्राम खेजडली कलां, तहसील लूणी जिला जोधपुर ग्रामीण मे आयी हुई है, जिस भूमि मे प्रत्येक प्रार्थीगण का 1/64 वां हिस्सा एवं संयुक्त रूप से 1/16 वां हिस्सा है तथा बकाया हिस्सा प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 के खातेदारी की भूमि है। उक्त भूमियां प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की भूमियां है जिनका आज दिनांक तक विधिवत रूप से विभाजन नही हो रखा है। जिसके लिए प्रार्थीगण द्वारा कई मर्तबा आपसी सहमति से अप्रार्थीगण को विभाजन करवाने हेतु कहा किन्तु उनके द्वारा विभाजन नही करवाया जाकर वादग्रस्त भूमियो को बैचान हस्तान्तरण करने तथा प्रार्थीगण को मौके से उनके हिस्से की भूमि से बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस कारण अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि वह प्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमियो मे उनके हिस्से से बेदखल नही करे एवं विधिवत रूप से विभाजन होने से पूर्व वादग्रस्त भूमियो को खुर्द कर आगे से आगे बैचान हस्तान्तरण अथवा अन्य व्ययन नही करे। बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमियो की जमाबन्दी की प्रति प्रस्तुत की हुई है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमियां प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमियां है, जिनका प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य विभाजन नही हो रखा है। विधिनुसार संयुक्त खातेदारी की भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का भूमि के प्रत्येक इंच पर कब्जा होता है एवं किसी भी सहखातेदार को अन्य सहखातेदार को उक्त भूमि से बेदखल करने का अथवा विभाजन करवाये बिना खुर्द बुर्द करने अथवा विशिष्ट पडौस खोलते हुए आगे बैचान हस्तान्तरण अथवा अन्य व्ययन करने का कोई अधिकार नही है। चूंकि वादग्रस्त भूमियां भी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. 1 से 5 के संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमियां है जिस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थीगण ताफैसला मूलवाद वादग्रस्त कृषि भूमियां खसरा नं. 130 रकबा 2.7195 हैक्टेयर अर्थात 16 बीघा 16 बिस्वा तथा खसरा नं. 154 रकबा 5.3904 हैक्टेयर अर्थात 33 बीघा 6 बिस्वा भूमि वाके ग्राम खेजडली कलां, तहसील लूणी जिला जोधपुर मे से प्रार्थीगण को जबरन बेदखल नही करे एवं उनके कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग मे दखल अंदाजी नही करे तथा वादग्रस्त भूमियों को खुर्द बुर्द नही करे एवं आगे से आगे बैचान, हस्तान्तरण अथवा अन्य व्ययन नही करे तथा मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हों। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी	